प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 15 मार्च, 2021

विषय- प्रदेश की कारागारों में स्थापित पाकशालाओं का मशीनीकरण द्वारा आधुनिकीकरण किये जाने हेतु 53 अदद् (50केवीए क्षमता) हैवी ड्यूटी स्टैब्लाइजर तथा 16 अदद् 3000 रोटी प्रति घण्टा की चपाती मेकर मशीन की व्यवस्था कराये जाने हेतु क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-05/2021/990/22-4-2020-48(7)/17, दिनांक-19.01.2021 एवं अपने पत्र संख्या-5146/आधु0-01/पाकशाला/2020, दिनांक-02.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक-12.02.2021 एवं 22.02.2021 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश की कारागारों में स्थापित पाकशालाओं का आधुनिकीकरण किये जाने हेतु जैम पोर्टल के माध्यम से 53 अदद् 50केवीए क्षमता के हैवी ड्यूटी स्टैब्लाइजर क्रय किये जाने हेतु मेसर्स विलोसिटी इण्डिया, प्रयागराज के पक्ष में रू0 62.84 लाख तथा 16 अदद् 3000 चपाती प्रति घंटा क्षमता की चपाती मेकर मशीन न्युनतम दर दाता फर्म से क्रय किये जाने हेतु मेसर्स गोयल किचन इक्यूपमेंट के पक्ष में रू0 180.48 लाख की सीमा तक कार्य कराये जाने हेतु क्रयानुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(1) सभी उपकरणों (16 चापाती मेकर मशीन एवं 53 अदद स्टैब्लाइजर) का अनिवार्यत परफार्मेंस पैरामीटर की पुष्टि करने के बाद ही अधिष्ठापन किया जाए।

(2) प्रश्नगत क्रय केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मामलों से संबन्धित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0/2017, दिनांक-15 जनवरी, 2018 का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) आपूर्तिकर्ता फर्मों एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

(6) क्रय की गयी सामग्री का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोग की वित्तीय/भौतिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-**32**/2021/322(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
3- अनु सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।